न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री हनुमानराम चौधरी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–23 / 2020 दायर दिनाँक 11.08.2020

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. लिछमणराम पुत्र भोलाराम 2. आसूराम पुत्र भोलाराम 3. रामनिवास पुत्र भोलाराम 4. झिमकू देवी पत्नि स्व. भोलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण दीनदारपुरा, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. विनीत पुत्र रतनलाल 2. गिरधारी पुत्र गणेशाराम उर्फ गणपत राम समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण दीनदारपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 3. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0 ।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री रामेश्वरलाल भाकर वकील प्रार्थी।
2. श्री अनवर खां वकील अप्रार्थी सं0 01 व 02 की तरफ से।

--:: निर्णय ::--

दिनाँक 17.02.2021

यह है कि प्रार्थीगण की कृषी भूमि खसरा नम्बर 664 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 665 रकबा 5.12 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 684 रकबा 3.70 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा 685 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बाड़ा पटवार हल्का दीनदारपुरा व भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौलतपुरा में स्थित हैं, के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार चले आ रहे हैं प्रार्थीगण ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 684 में रहवासी ढाणी बना रखी है जिसमें प्रार्थीगण अपने परिवार सहित रहते है।

यह है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 684 में आने–जाने के लिये आम रास्ता खसरा नम्बर 690 से खसरा नम्बर 684 मे जाने के लिये खसरा नम्बर 688, खसरा नम्बर 689 की पूर्वी सींव के पास–पास जिसको मार्क–ए, बी से प्रदर्शित किया गया है इसी अनुरूप प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 684 में आने–जाने के लिये रास्ता खसरा नम्बर 688, 689 में से कायम किया जाना न्यायोचित है।

यह है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible] से प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 684 में [illegible] बाधा नहीं है। इस प्रकार [illegible] नम्बर [illegible] 689 की पूर्वी सीमा के चिपते 12 फुट चौड़ा रास्ता [illegible]

अतः प्रार्थना–प[illegible] की प्रमाणित प्रतियां व नक्शे की नकल में रास्ता चिन्हित करते हुए आवेदन पेश कर निवेदन है कि सभी अप्रार्थीगण को नोटिस भेजा जाकर बाद जवाबदेही पक्षकारान को अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.02.22 15:16:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पक्ष रखने का अवसर दिया जाकर तत्पश्चात भू–अभिलेख निरीक्षक को खसरा नम्बर 688, 689 की पूर्वी सींव के चिपते हुए 12 फुट चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु मौका रिपोर्ट व क्षैत्रफल की रिपोर्ट व डी एल सी रिपोर्ट मंगवाकर आवेदन स्वीकार करने की कृपा करावें व कृषि भूमि खसरा नम्बर 688, 689 की पूर्वी सीमा के चिपते प्रार्थी की कृपि भूमि खसरा नम्बर 684 तक कट्टाणी रास्ता कायम करने की आज्ञा प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 01 व 02 ने इकबालिया जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं0 01 व 02 के इकबालिया जवाब अनुसार प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक राजस्व/20/335 दिनांक 11.01.2021 के अनुसार आवेदक के खेत खसरा सं0 684 रकबा 3.70 हैक्टयर में जो संयुक्त खातेदारी का खेत है के कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। आवेदक को अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। आवेदक के खेत खसरा सं0 684 के सबसे नजदीक कटाणी रास्ता खसरा सं0 690 में से लगता है। जिससे ख0नं0 689 व 688 से होकर रास्ता दिया जाना है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 684 वाकै सरहद दीनदारपुरा में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 335 दिनाँक 11.01.2021 में दर्शित भूमि खसरा संख्या 689, 688 वाके सरहद दिनदारपुरा में से रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रभावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भुगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 335 दिनांक 11.01.2021 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.02.22 15:16:53 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(हनुमानराम चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner